सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 128 / दावा / 2022 दायरा दिनांक :— 06.12.2022

GCMS ID—2022 / 210

बउनवान

1. सुखदेव आ0 लाला जाति माली निवासी गोठडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. रामदेव आ0 शंकरलाल जाति माली निवासी गोठडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 183 आर0टी0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

वकील वादी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील प्रतिवादी :— एक पक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :— 27 / 02 / 2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदार आधिपत्य की कृषि भूमिया ख सं० 3517 रकबा 0.0728 हैक्टर, खसरा सं 3519 रकबा 0. 2509 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3237 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा तह० हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित है। वाद पत्र के चरण कम 1 मेवर्णित कृषि भूमि केसहारे प्रतिवादी की भूमिया है। प्रतिवादी लडाकू व ताकतवर व्यक्ति है। धीरे 2 वादी की जमीन फाड़कर अपने जमीन मे अपनी बताकर मिलाता रहा, शिकायत करने पर झगडे पर आमादा होता था मारपीट पर आमादा होता और कहता कि मेने तुम्हारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। वादी ने अपने जमीन की स्थिति के बाबत पटवारी हल्का से मोखिक रुप से जांच कराई तो पटवारी हल्का द्वारा बताया कि खसरां सं 3517 में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी ने दबा रखा है ऐसी स्थिति मे गत वर्ष प्रतिवादी से जमीन को नपवाने व वादी के जो जमीन कब्जे में थी उसे छोडने को कहा इस पर प्रतिवादी नाराज हो गया गाली गलोच करने लगा और मारपीट पर आमादा रहा और कहा इस जमीन पर कब्जा करके रहूगा जो आडे फिरेगा उसे मार दूंगा थाना पुलिस सब मेरे है वादी की कोई सुनवाई नही होगी। प्रतिवादी उक्त ओलमा से काफी नाराज हुआ और अपनी धमकी को पूरा करने के लिये वादी की कमजोरी का फायदा उठाते हुये जून 21 मे खसरा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सं 3517 की पूरी जमीन को हाक जोतकर कब्जे में कर लिया वादी प्रतिवादी के आडे फिरा तो जान से मारने की धमकी दी इस कारण वादी अब तक शिकायत नही की थी बल्किी वादी प्रतिवादी से हाथा जोडी कर जमीन छोडने का निवेदन करता आ रहा था। वादी ने प्रतिवादी से ख सं 3517 की भूमि लगभग 9 बिस्वा भूमि पर से कब्जा हटाने के लिये नवम्बर 22 के प्रथम सप्ताह में कहा लेकिन प्रतिवादी इंकार हो गया यही वाद कारण है। वादी वादपत्र के चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि 3517 रकबा 0.0728 हैक्टर वाके गाम गोठडा पर प्रतिवादी को बेदखल कर वापस कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण गत डेढ वर्ष लगभग से प्रतिवादी द्वारा वादी कृषि भूमि 3517 पर कब्जा करने व अतिम बार नवम्बर 22 में कब्जा छोडने की कहने पर भी कब्जा नही छोडने पर यह लगातार उत्पन्न हो रहा है अतः वाद अवधि मध्य पेश है। कृषि भूमि ग्राम गोठडा तह० हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है अतः श्रीमान को यह वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन 10000/–रु पर निश्चित किया जाता है जिसकी निश्चित कोर्ट फीस व उचित तलवाने पर यह दावा पेश है। अतः श्रीमान से निवदेन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को वाद पत्र के चरण कम 1 में वर्णित भूमि खसरा सं 3517 रकबा 0.0728 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाये जाने की आज्ञा प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को दी जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक :–20.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वाद पत्र के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया बयान गवाह दर्ज किए जाकर शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 3517, 3519 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम गोठडा में स्थित है जो वादी की खातेदारी मे है। विवादित भूमि पूर्व खातेदारों के समय से आधौली पर काश्त करवाई जा रही है। विवादित भूमियों के सहारे प्रतिवादी की भूमि है। प्रतिवादी लडाकू व ताकतवर व्यक्ति है, जो धीरे–धीरे वादी की भूमि खसरा सख्या 3517 पर कब्जा करने पर आमादा होता रहता है। हमने अपनी जमीन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नपवाने पर पता चला कि प्रतिवादी द्वारा मेरे खाते की भूमि खसरा सख्या 3517 रकबा 0.0728 हैक्टेयर पर कब्जा कर लिया है व अन्य भूमि पर भी कब्जा करने पर आमादा है। हमने प्रतिवादी से हमारी भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादी द्वारा इन्कार कर दिया गया। यही वाद उत्पत्ति का कारण है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से बेदखल किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या 756 के खसरा संख्या 3517 व 3519 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम गोठडा प0म0 गोठडा जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 वादी की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी के वादपत्र का प्रतिवादी ने कोई खण्डन पेश नहीं किया है। वादी के साक्ष्य अखण्डित रही है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 756 के खसरा संख्या 3517 रकबा 0.0728 वाके ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 पर से प्रतिवादी को बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है। नायब तहसीलदार दबलाना नियमानुसार प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः—27.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली

बइजलास श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. सुखदेव आ0 लाला जाति माली निवासी गोठडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. रामदेव आ0 शंकरलाल जाति माली निवासी गोठडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 183 आर0टी0 एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा नम्बर :– 128/दावा/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री चन्द्रप्रकाश जैन मिजानिब मुदई व एकतरफा मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 756 के खसरा संख्या 3517 रकबा 0.0728 वाके ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 पर से प्रतिवादी को बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है। नायब तहसीलदार दबलाना नियमानुसार प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावे। **बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :– 27.02.2026 को जारी की गई।**

27/02/2026

मोहर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालत नामा	2	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4	00	मीजान	0	00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)